कार्यालय शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संख्या 6911 /दस–शीरा/शीरा नीति/2009–10/इलाहाबाद:दिनांक: दिसम्बर 3,2009

आदेश

इस कार्यालय के आदेश सं0–8021/दस–185(1)/शीरा–नीति/2008–09 दिनांक–30.01.2009 के सन्दर्भ में, मैं सुधीर एम0 बोबडे, शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, उ0प्र0 शीरा नियंत्रण अधिनियम–1964 की धारा–8(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या 2684ई–2/तेरह–2009–60/2009 दिनांक 25.11.2009 के अनुक्रम में शीरा वर्ष 2009–10 के लिये उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के सम्बन्ध में शीरा नीति निर्धारण हेतु निम्नलिखित आदेश देता हूँ:–

(1) **देशी मदिरा हेतु शीरे की आवश्यकता एवं आरक्षण:–**

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम 2009 में परिभाषित कैप्टिव उपभोग एवं सम्बन्धित संशोधनों के लागू रहने के परिप्रेक्ष्य में समग्र रूप से उपलब्ध शीरे पर 30 प्रतिशत का आरक्षण निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:–

(क) प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे का 30 प्रतिशत शीरा आरक्षित रहेगा किन्तु यथा परिभाषित कैप्टिव उपभोग वाली चीनी मिलें आरक्षण से उस सीमा तक मुक्त रहेंगी, जिस सीमा तक वे शीरे का कैप्टिव उपभोग करती हैं।

उक्त आरक्षण का प्रतिशत इस शर्त के साथ निर्धारित किया जाता है कि आरक्षण के प्रतिशत में यदि विचलन (घटाने अथवा बढ़ाने) की स्थिति बनती है तो अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा अन्तिम रूप से निर्णय लिया जायेगा।

(ख) ऐसी चीनी मिल, जिसकी अपनी सह आसवनी (यथा परिभाषित कैप्टिव उपभोग के अनुसार) है एवं आसवनी द्वारा देशी मदिरा की आपूर्ति की जाती है तो चीनी मिल सर्वप्रथम अपने उत्पादन का 30 प्रतिशत तक के शीरे का उपभोग देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु कर सकेंगी। यदि उनकी आसवनी द्वारा 30 प्रतिशत शीरे के उपभोग के उपरान्त भी देशी मदिरा की आपूर्ति की जाती है तो, अतिरिक्त आरक्षित शीरे के आवंटन हेतु आवेदन करने पर, पेराई सत्र समाप्त होने के उपरान्त शीरा उत्पादन की स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात् शीरा वर्ष के प्रारम्भ से गणना करते हुए(अर्थात् नवम्बर से माह अक्टूबर तक) की गई देशी मदिरा तक की आपूर्ति के सापेक्ष प्रतिपूर्ति हेतु आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक द्वारा गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर प्रस्ताव शासन के विचारार्थ प्रेषित किया जायेगा, जिस पर मा0 आबकारी मंत्री जी अन्तिम रूप से निर्णय लिया जायेगा।

(2) **आरक्षित/अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी का अनुपात:–**

(i) उपर्युक्त 30 प्रतिशत आरक्षण प्रतिशत के अनुसार आरक्षित/अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी का अनुपात 3:7 निर्धारित किया जाता है।

(ii) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण(संशोधन) अधिनियम 2009 सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 28.02.2009 के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा विचाराधीन रिट याचिका संख्या 4343(एम0बी0)/09 अवध शुगर मिल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में यदि राज्य के विरूद्ध कोई निर्णय पारित किया जाता है तो, निर्धारित 30

प्रतिशत आरक्षण प्रतिशत में संशोधन करने एवं तदनुरूप आरक्षित/अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी का अनुपात निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में यथासमय शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा अन्तिम रूप से निर्णय लिया जायेगा।

वर्ष 2008–09 की शीरा नीति की भॉति अनुपात अनुरक्षण की समीक्षा हेतु सत्र के प्रथम छमाही में द्विमासिक समीक्षा एवं अगले छमाही में मासिक समीक्षा की जायेगी।

(3) **उत्तरांचल राज्य को शीरे की आपूर्तिः–**

शासनादेश सं0–3646ई–2/तेरह–2006–227/2000 दिनांक–30.10.2006 द्वारा उत्तरांचल राज्य की रासायनिक इकाईयों को तीन शीरा वर्षो(2006–07, 2007–08 एवं 2008–09) के लिये 35 लाख कुण्टल प्रतिवर्ष रेसीप्रोकल आधार पर शीरा आवंटित करने की व्यवस्था की गई थी। तद्नुसार दोनों राज्यों के मध्य एम0ओ0यू0 सम्पादित किया गया था, जिसकी समयावधि 31 अक्टूबर, 2009 तक थी। चूँकि आगामी सत्र में शीरे का उत्पादन कम होना सम्भावित है, ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तरांचल राज्य की रासायनिक इकाईयों को, शीरा नहीं दिया जायेगा ।

परन्तु यदि शीरे की पर्याप्त उपलब्धता बनती है तो उत्तरांचल राज्य की रासायनिक इकाईयों को शीरा नियमानुसार निर्यात की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

(4) **अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठनः–**

शीरा वर्ष 2006–07 में शीरा नीति में विचलन हेतु प्राप्त प्रकरणों पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर संस्तुति करने के लिये अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में मा0,मंत्रि–परिषद के अनुमोदन से कार्यालय ज्ञाप संख्या 1814 ई–2/तेरह–2007–4/2007 दिनांक 24 जुलाई, 2007 द्वारा निम्नवत समिति का गठन किया गया था:–

(1)	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त	–	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव, वित्त	–	सदस्य
(3)	प्रमुख सचिव कर एवं निबन्धन विभाग	–	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग	–	सदस्य/संयोजक

उपरोक्त समिति की संस्तुति पर निर्णय लेने हेतु मा0 आबकारी मंत्री को अधिकृत किया गया था। इस व्यवस्था को कार्यालय ज्ञाप संख्या 235 ई–2/तेरह–2009–92/2008 दिनांक 30 जनवरी, 2009 द्वारा वर्ष 2008–09 में यथावत रखा गया था, जो शीरा वर्ष 2009–10 में भी यथावत् रहेगी ।

(5) **प्रदेश से शीरा निर्यात एवं अन्य राज्यों से शीरा आयात के सम्बन्ध में:–**

गत शीरा वर्ष 2008–09 की भॉति शीरा वर्ष 2009–10 में भी शीरे का निर्यात पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा । शीरा वर्ष 2009–10 में शीरे के उत्पादन में गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए अन्य राज्यों से शीरे के आयात की व्यवस्था यथावत् रहेगी। गत वर्ष की भॉति शीरा आयात करने से पूर्व आयातक को आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक से अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा ।

आगामी माहों में यदि शीरे की उपलब्धता बनती है तो निर्यात की अनुमति दिये जाने पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(6) **अन्य राष्ट्रों से शीरा आयातः–**

गत शीरा वर्ष की भाँति आसवनियों को अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात करने की अनुमति शासन के अनुमोदन से प्रदान की जायेगी एवं उक्त आयातित शीरे पर 15/– रूपया प्रति कुण्टल प्रशासनिक शुल्क लिया जायेगा। शीरा आयातक को भारत सरकार द्वारा आयात–निर्यात के सम्बन्ध में निर्धारित नीति एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(7) **शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की दरः–**

शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की दर शीरा नीति 2008–09 की भाँति प्रदेश के अन्दर खपत के लिये रू0 11/– प्रति कुण्टल तथा प्रदेश के बाहर निर्यात पर रू0 15/– प्रति कुण्टल यथावत रहेगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य प्रान्तों से शीरा आयात पर रू0 11/– प्रति कुण्टल तथा अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात पर प्रशासनिक शुल्क की दर रू0 15/– प्रति कुण्टल यथावत् रहेगा ।

(8) **शीरा निधि की धनराशि का अन्तर–इकाई हस्तान्तरणः–**

शीरा निधि की धनराशि का अन्तर–इकाई हस्तान्तरण शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पूर्वानुमोदन के अधीन रहेगा।

(9) **अवशेष आरक्षित शीरे को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में:–**

अवशेष अविक्रीत आरक्षित शीरे को स्वयं के उपभोग अथवा फ्री–सेल में विक्रय हेतु अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण शीरे की उपलब्धता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए शीरा नियंत्रक द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को प्रेषितं किया जायेगा, जिस पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा अन्तिम रूप से निर्णय लिया जायेगा।

(10) **देशी मदिरा के उपभोग से अवशेष आरक्षित शीरे का आवंटन विदेशी मदिरा के निर्माताओं को किये जाने के सम्बन्ध में:–**

विगत शीरा वर्ष 2008–09 की भाँति शीरा वर्ष 2009–10 में देशी मदिरा के उपभोग से अवशेष आरक्षित शीरे का आवंटन विदेशी मदिरा के निर्माताओं को शीरा नियंत्रक द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

(11) **खाण्डसारी इकाईयों द्वारा उत्पादित शीरे पर नियंत्रकः–**

शीरा नीति वर्ष 2008–09 की भाँति खाण्डसारी शीरे के प्रदेश के बाहर निर्यात की अनुमति, आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ही प्रदान की जायेगी।

(12) **शीरे के उठान पर नियंत्रणः–**

शीरे के उठान को नियंत्रित करने एवं सम्भरित शीरे का सही लेखा–जोखा रखने के उद्देश्य से शीरे पर आधारित इकाईयों को शीरे का उठान शीरा पासबुक के आधार पर ही किये जाने एवं शीरे के उठान में इस्तेमाल किये जाने वाले टैंकरों के ट्रान्सपोर्टरों का पंजीकरण तथा शीरे के सम्भरण, संचालन तथा परिवहन हेतु उचित प्रशासनिक व्यवस्था करने हेतु, उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 तथा

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974 एवं उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम/नियमावली, 2009 में वर्णित प्राविधानानुसार शीरा नियंत्रक के स्तर से जारी किया जायेगा।

(13) **बी0आई0एफ0आर0 के अन्तर्गत आने वाली चीनी मिलों/इकाईयों को छूट/रियायत <u>दिये जाने के सम्बन्ध में</u>:–**

शासन द्वारा बी0आई0एफ0आर0 के अन्तर्गत आने वाली किसी चीनी मिल को छूट प्रदान की जाती है तो छूट मिलने की तिथि से उस चीनी मिल में उत्पादित /उपलब्ध शीरे पर आरक्षण लागू नहीं होगा, परन्तु ऐसी चीनी मिलों को प्रशासनिक शुल्क में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी, किन्तु उक्त प्राविधानों के सम्बन्ध में यदि भविष्य में परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होती है तो, उस पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा अन्तिम रूप से निर्णय लिया जायेगा।

(14) **शीरे पर आधारित लघु इकाईयों, जैसे यीस्ट, पशु आहार इत्यादि उत्पादक इकाईयों <u>को शीरा आंवटन किये जाने के सम्बन्ध में</u>:–**

प्रदेश में शीरे पर आधारित लघु इकाईयों, जैसे यीस्ट, पशु आहार तम्बाकू इत्यादि उत्पादक इकाईयों को शीरे का आवंटन उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम–1964 की धारा–7 के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र पर स्थानीय अधिकारियों की आख्या/संस्तुति, इकाईयों की यर्थाथ मांग एवं प्रदेश में शीरे की उपलब्धता तथा लोक हित में शीरे की सदुपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए इकाईयों की निर्धारित क्षमता के अन्तर्गत समय–समय पर स्वविवेक से शीरा नियंत्रक द्वारा शीरा आवंटित किया जाएगा, किन्तु उक्त इकाईयों को शीरा आवंटन के सम्बन्ध में उनके द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 3087ई–2/तेरह–2000–174/2000 दिनांक 25 नवम्बर, 2000 में वर्णित प्रकिया का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

(15) शीरा वर्ष 2009–10 के लिये घोषित शीरा नीति अगले शीरा वर्ष 2010–11 में यथावत तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक कि शीरा वर्ष 2010–11 के लिये शीरा नीति की घोषणा नहीं कर दी जाती।

(16) प्रदेश में स्थापित शीरे पर आधारित इकाईयॉ शीरे का उठान शीरा पासबुक पर ही कर सकेंगी।

(सुधीर एम0 बोबडे)
शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 6912–7226/दस–शीरा/शीरा नीति/2009–10/इलाहाबादःदिनांकःतद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी विभाग, बापू भवन, लखनऊ।
2. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, जोन्स/प्रभार, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय।
5. समस्त उप/आबकारी निरीक्षक/अध्यासी चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश।

6. अध्यक्ष, उ0प्र0 चीनी मिल संघ, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल लि0, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, उ0प्र0 आसवक संघ, पी0एच0डी0 हाउस, अपोजिट एशियन गेम्स विलेज, नई दिल्ली।
10. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/प्रभारी आबकारी निरीक्षक, आसवनियॉं।
11. समस्त आसवनियॉं/इकाईयॉं उत्तर प्रदेश।
12. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड राज्य, देहरादून ।

(सुधीर एम0 बोबडे)
शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।